न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 214 / 2023

अनवान : –

1. रतन कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. दलीप सिंह पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः - 10/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 167 / 167 की कुल 3.0360 है व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 263 / 245 की कुल 8.5700 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान अजनबी क्रेतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 167 / 167 की कुल 3.0360 है व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 263 / 245 की कुल 8.5700 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 प्रार्थी के रिकार्ड में धारित रकबा व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि [illegible] भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 167 / 167 की कुल 3.0360 है व रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:52:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 263/245 की कुल 8.5700 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अगर अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जा व काश्त में दखलअन्दाजी करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी को कन्फर्म किया जाना न्यायोचित है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 167/167 की कुल 3.0360 हैक्ट व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 263/245 की कुल 8.5700 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल करने से निषिद्ध रहे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:52:50 IST
Reason: SelfAttested